

प्रारूप-3

भाग-2 (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

16. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति

(i) राज्य/संघराज्यकोष उत्तराखण्ड

(ii) जिला उत्तरकाशी

(iii) जिला वन प्रभाग उप वन संरक्षक टैन्स वन प्रभाग, पुरोला, उत्तरकाशी

(iv) पूर्वक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्राप्तिः ०.९४४९ हेक्टर

17. पूर्वक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्राप्तिः वन विभाग का स्वामित्व

18. अपवर्जन के लिए प्रत्यावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का बोरा:

(i) वन का प्रकार भिन्नीत वन

(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व ०.१

(iii) प्रजातिगत रूपानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिमाणना संलग्न

(iv) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का तुस्ता संलग्न

19. भूकरण के लिए पूर्वक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी

20. वन भूमि की सीमा से पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी : वन भूमि के अंतर्गत नागर नहीं

21. दन्य जीव और वृक्ष से पूर्वक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता : नागर नहीं

(i) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का बोरा : नागर नहीं

(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जीव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अभ्यारण गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के बारे और उपायद्वारा किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्ड की और टीका टिप्पणियों उपायद्वारा की जाए)

(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जीव क्षेत्र आरक्षण व्याघ रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के बारे और मुख्य वन्य जीव वार्ड की टीका-टिप्पणियों उपायद्वारा की जाए)

(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जीव क्षेत्र आरक्षण व्याघ रिजर्व हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वक्षण के लिए उपयोगिता की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के बारे और मुख्य वन्य जीव वार्ड की टीका-टिप्पणियों उपायद्वारा की जाए)

(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जाति के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके बारे

22. क्या क्षेत्र में कोई सरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक रक्षणात्मक रक्षणात्मक या कोई महत्वापूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपायद्वारा किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ री) के साथ उसका ब्लॉक दे) नहीं

23. पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें - भूनहम भूमि की मांग की गई है।

(i) क्या भाग- 1 के पैरा 8 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिवार्य है और परियोजना के लिए अति नूनतम है। दौ

(ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिलारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है।

24. किए गए अतिक्रमण के बारे :

(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हाँ/नहीं) नहीं

(ii) यदि हाँ, को गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अतिरिक्त वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम राहित अतिक्रमण के बारे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरुद्ध को गई कार्यवाही नागर नहीं है।

(iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हाँ/नहीं) नहीं

25. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के बारे : क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्राप्तिः संलग्न है।

(i) क्षतिपूरक वनरोपण बड़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्राप्तिः संलग्न है।

(ii) अवस्थिति, सर्वक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे व्यारे दे। संलग्न है।

(iii) अतिपूरक वनरोपण कोव के लिए पहचान किए गए और वनोकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1,50,000 भाषा के मूल में स्थल वन भारत का सर्वोक्तुण और सामीय वन सीमाएं संलग्न है। **संलग्न है।**

(iv) रोगित की जाने वाली प्रजातियों कार्यव्ययन अभिकरण, समय सूची, लापत संशोधना आदि राष्ट्रिय अतिपूरक वनरोपण स्कीम के बारे संलग्न हैं (डा./नडी)। **हाँ**

(v) अतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरियाः **संलग्न है**

(vi) क्या अतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के हृषिकोणों से पहचानए किए गए बोत की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रश्न—पत्र संलग्न है (डा./नडी)। **हाँ**

28. वनरपति और जीव जटु पर प्रस्तावित कियाकलापों के समाधान से सम्बन्धित मठत्वार्पण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (डा./नडी)।

27. स्त्रीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों

28. क्या रथल, जहां अंतर्वैषेष वन भूमि अवस्थित है उसका वन संरक्षक द्वारा निरीक्षण किया गया है (डा./नडी)। यदि शा, तो निरीक्षण टिप्पण के रूप में किए गए निरीक्षण और संप्रेषण की तारीख संलग्न की जाय।

29. क्या वन संरक्षक भाग 2 में दी गई जानकारी और उप वन संरक्षक की सिफारिशों से सहमत हैं।

30. विस्तृत कारणों के साथ प्रस्ताव को स्त्रीकृति या अन्यथा के लिए वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट दिक्कारिशों

प्रस्ताव त्वीकृति की वनस्तुति की जारी है,

उप वन संरक्षक
टैन्स वन प्रमाण,
(अद्. पा० मिया)

स्थान पुरोला तारीख 4/7/2018 उस्ताकर

नाम

राजस्वीय मुद्रा

(अद्. पा० मिया)

प्रारूप-7

SITE INSPECTION REPORT- NOT BELOW THE RANK OF DCF
(for the forest land to be diverted under FCA)

5.1 A proposal has been received by this office from Reliance 4G Project for laying of OFC for diversion under FCA-1980 of 0.949 ha. of forest land for non-forestry purpose. The project envisages the use of forest land for construction of x OFC Cable of Jio Reliance. The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on dated 4.7.2018.

5.2 On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/un-classed/Other forests measuring 0.949 ha.

5.3 The requirement of forest land as proposed by the user agency in Co1.2 part-1 is unavoidable and is barest minimum required for the project. Yes

5.4 Whether any rare /endangered /unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details thereof :- No

5.5 xx Whether any protected archeological /heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area, if, so the details thereof with NOC from competent authority, if required. - No

- The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction.
- It has been found that the user agency has violated (Conservation), Act, and 1980 provisions. A details report as per para 1.9 of chapter 1, Para C of Hand book of forest (Conservation) Act, 1980 attached.

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

(नोट:- प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा यहाँ पर प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपनी सस्तुति/टिप्पणी आवश्यक रूप से अंकित की जाय) Proposal recommended for sanction.

Place:- Purulia

(Signature)

Date. A. 7. 2018

Name: मास्टर योगेन्द्र पाण्डित
Designation: उप वन संचालक
Office Seal: टौन्स ट्रैन प्रामाण, पुरुली

- N.B. State the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.
 out of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the applicable. option which is not

As per letter number 2-2/2000 FC darted 16-10-2000 from ministry of Environment & Forest, Government of India for proposal involving less than 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more the 40 hectares of forest land site inspection report from the conservator of forests is required.